

Page 3/10

223 (26)

निबंधन सं० पी० टी०-४०



बिहार राजपट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं० पटना 280)

3 वैशाख 1930 (श०)
पटना, बुधवार, 23 अप्रील 2008

विधि विभाग

अधिसूचना

23 अप्रील, 2008

सं०-एल०जी०-1-06/2008/लेज०-90- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापरित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 18 अप्रील, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

[बिहार अधिनियम 14, 2008]

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन करने के लिए अधिनियम

प्रस्तावना:- चूंकि, बिहार राज्य में काफी बड़ी संख्या में निकाय एवं संस्थाएं हैं, जो निर्वाचित प्रतिनितियों द्वारा शासित होते हैं;

और, चूंकि, सहकारी समितियां निर्वाचित प्रबन्ध समितियों द्वारा शासित होती हैं;

और, चूंकि, विद्यालय शिक्षा समितियों जैसी समान संस्थाएं/स्थापना भी हैं, जो निर्वाचित निकायों द्वारा शासित एवं प्रबंधित होती हैं;

और, चूंकि ऐसी संस्थाओं/स्थापनाओं/संगठनों में निर्वाचित निकायों का चुनाव करने के लिए सम्प्रति विभिन्न प्रकार के निकाय हैं, जो किसी एकरूपतापूर्ण प्रक्रिया द्वारा निवियमित नहीं हैं;

और, चूंकि, उक्त निकायों के लिए निर्वाचन करने के लिए समान प्रक्रिया का प्रावधान किया जाना लोकहित में आवश्यक समझा गया है;

और, चूंकि उक्त उद्देश्य की पूर्ति के प्रयोजनार्थ, राज्य निर्वाचन आयोग की तरह एक प्राधिकार की स्थापना करना आवश्यक समझा गया है, जिसे सहकारी समितियों, शिक्षा समितियों या अन्य किसी संस्था/स्थापना/संगठन जहां निर्वाचित निकाय का गठन अपेक्षित है, में निर्वाचन सम्पन्न करने का कर्तव्य एवं दायित्व सौंपा जायेगा।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा चिह्नित करें।

2. परिभाषाएँ—(क) "राज्य निर्वाचन प्राधिकार" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की भात-3 के अधीन गठित प्राधिकार;

(ख) "सहकारी समिति" से अभिप्रेत है बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 में परिभाषित सहकारी समिति और बिहार स्थापना/संघटन सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) के अधीन परिभाषित सहकारी समिति;

(ग) "शिक्षा समिति" से अभिप्रेत है बिहार राज्य में विभिन्न कोटि के विद्यालयों के लिए शिक्षा समिति या जिस किसी भी नाम से यह जानी जाय;

(घ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ङ) "निबंधक, सहकारी समितियाँ" से अभिप्रेत हैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 तथा बिहार सेल्फ-होल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1996 में परिभाषित निबंधक;

(च) "जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता" से अभिप्रेत है किसी जिला विशेष के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता;

(छ) "अनुमण्डल दंडाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा किसी अनुमण्डल विशेष के लिए नियुक्त एवं अधिसूचित अनुमण्डल दंडाधिकारी;

(ज) "आयुक्त" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं अधिसूचित किसी प्रमण्डल का आयुक्त;

(झ) "प्रबन्ध समिति" से अभिप्रेत है सहकारी समिति सहित किसी संस्था/स्थापना/निकाय, चाहे जिस किसी भी नाम से उसे जाना जाए, के प्रशासन के लिए आवश्यकतानुसार गठित प्रबन्ध समिति जिसका गठन राज्य सरकार के किसी अधिनियम, नियमावली, आदेश, अधिसूचना या स्कीम के अधीन आवश्यक हो।

3. राज्य निर्वाचन प्राधिकार का गठन—(1) राज्य सरकार, निम्न विधि को एवं से, एक निर्वाचन प्राधिकार का गठन करेगी, जिसका क्षेत्राधिकार इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनायी गई नियमावली में प्राथमान्तिक तरीके से किसी प्रबन्ध समिति के निर्वाचन का संचालन करना होगा।

(2) राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अध्यक्षता एक मुख्य चुनाव पदाधिकारी द्वारा की जाएगी और अपने कर्तव्य एवं शक्तियों के निर्वहन हेतु उसे उतने उप-मुख्य चुनाव पदाधिकारियों की सहायता मिल सकेगी, जितना कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

(3) मुख्य चुनाव पदाधिकारी या तो सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त पदाधिकारी होगा, जिसे

10 (घर) वर्षों से अल्पतः अर्ध-वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होगा जिसमें से अल्पतः तीन वर्ष राज्य सरकार के सचिव पदित एवं स्तर का होना आवश्यक होगा।

(4) मुख्य चुनाव पदाधिकारी को नियुक्ति पांच वर्षों की कार्यवाधि या सत्तर वर्षों की आयु जो भी पहले हो, तक के लिए होगी;

परन्तु यह कि पांच वर्षों की कार्यवाधि का नवीकरण सत्तर वर्षों की आयु तक के लिए राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार किया जायेगा;

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार मुख्य चुनाव पदाधिकारी को कार्यवाधि को समय से पहले समाप्त कर सकेगी, और अगर वह अपने कार्यवाधि की समाप्ति की तिथि में वह तीन साल के बीच पूर्व भर्ती के अन्तर्गत शक्तिशाली का उत्तरदायी होगा और उसे अन्य कोई भर्ती अनुमान नहीं होगा।

4. पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं नियंत्रण—(1) निर्वाचन प्राधिकार को सोसाइटी, शिक्षा समिति, या अन्य कोई संस्था, संगठन, स्थापना जैसी निकायों के निर्वाचन, के लिए जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाय, मतदाता सूची का निर्माण तथा निर्वाचन संचालन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति, प्राधिकारिता तथा अधिकारिता होगी।

(2) कार्यवाधि की छोड़कर निर्वाचन प्राधिकार के मुख्य चुनाव पदाधिकारी की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार नियमावली के द्वारा विहित करे।

(3) निर्वाचन प्राधिकार द्वारा अनुरोध किये जाने पर सरकार ऐसे पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करावेगी, जैसा कि इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक हो।

5. निर्वाचन संचालन हेतु प्रशासनिक मशीनरी—(1) राज्य सरकार, प्राधिकार द्वारा निर्वाचन संचालन के लिए जब आवश्यक हो, उसे आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध करावेगी।

(2) निर्वाचन संचालन के लिए निर्वाचन प्राधिकार जिला दंडाधिकारी, अनुमण्डल दंडाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या ऐसे अन्य पदाधिकारी, जैसा कि वह उचित समझे, को प्रत्येक संस्था, संगठन, स्थापना के लिए निर्वाचन पदाधिकारों के रूप में पदनामित करेगा और यहां तक कि निर्वाचन पदाधिकारी की सहायता के लिए एक या अधिक पदाधिकारियों को उप-निर्वाचन पदाधिकारियों के रूप में पदनामित करेगा।

(3) राज्य निर्वाचन प्राधिकार किसी संस्था/स्थापना/संगठन या ऐसे निकायों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों पर

निर्वाचन रखने के लिए और ऐसे कार्यों को करने के लिए जैसा कि उसे निर्वाचन प्राधिकार द्वारा सौंपा जाए, एक पर्यवेक्षक मनोनित करेगा जो राज्य सरकार का एक पर्यवेक्षक होगा।

6. निर्वाचन अपराध- (1) निर्वाचन के सिलसिले में वगैरह के बीच शत्रुता बढ़ाना-कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन के संबंध में भारत के नागरिकों को विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, भूतवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वह तीन वर्षों तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध- (1) कोई भी व्यक्ति किसी मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर-

(क) निर्वाचन के संबंध में किसी चुनाव संबंधी जुलूस या आम सभा संबंधी संयोजन, धारण, उपस्थिति, आयोजन या संबोधन नहीं करेगा;

(ख) सिनेमाथेाक, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के जरिये किसी निर्वाचन मामले को जनता को नहीं दर्शायेगा; या

(ग) किसी संगठन या संगीत सभा का प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मन बहलाने वाले कार्यक्रमों के आयोजन से जनता को सदस्यों की आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी चुनाव विषयक मामलों का प्रसार नहीं करेगा।
ऐसा कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करे दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा में, अभिव्यक्ति "चुनाव मामले" से अभिप्रेत हैं निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करना या प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रयत्नित कोई भाषणा।

(3) निर्वाचन सभा में भाषा- (i) कोई व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक सभा में, जिस पर यह धारा लागू होती है, जिस प्रयोजन के लिए सभा बुलाई गई है, उसके कार्य संव्यवहार को निर्धारित करने के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करता है या किसी अन्य का इसके लिए प्रयत्न करता है, वह भाषा के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

खण्ड (ii) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञित होगा।

स्पष्टीकरण-यह धारा सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अभियुक्त जारी करने को विधि और निर्वाचन की विधि के मध्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित राजनीतिक प्रवृत्ति को किसी आम सभा पर लागू होती है।

(iii) यदि कोई पुलिस अधिकारी खण्ड (1) के अन्तर्गत अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति पर पर्याप्त रूप से संदेह करता है, यदि सभा के सफलता के लिए ऐसा करने के लिए अनुमति किया जाय, तो वह उस व्यक्ति से अपना नाम और पता पूर्व घोषित करने को अपेक्षा कर सकता है और यदि वह व्यक्ति अपने नाम और पते घोषित करने से इंकार करता है या नहीं करता है या यदि पुलिस अधिकारी उस पर गलत नाम या पता देने के लिए पर्याप्त रूप से संदेह करता है, तो पुलिस अधिकारी वास्तव के बिना उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(4) पुस्तिकाओं, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध- (i) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और उसके प्रकाशक के नाम और पते नहीं हों।

(ii) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को तब तक मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करायेगा-

(क) जब तक कि उसके प्रकाशक को पहचान के लिए घोषणा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित, जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, दुप्लीकेट से मुद्रक को उसके द्वारा पठित नहीं की जाये, और

(ख) जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पर्याप्त मुद्रितपुस्तक समय के भीतर घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा नहीं भेजी जाए-

(i) जब यह राज्य की राजधानी में मुद्रित हो तो राज्य निर्वाचन प्राधिकार को, और

(ii) किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला दण्डाधिकारी को जिसमें यह मुद्रित किया गया है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) हाथ द्वारा इसकी प्रतियां करने के अलावा दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण माना जाएगा और तदनुसार अभिव्यक्ति "मुद्रक" की व्याख्या की जायेगी;

और

(ख) "निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से अभ्यर्थियों या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संबोधित करने या प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन से संबंध रखने वाला कोई

प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निर्वाचन अधिकारियों या कार्यकर्ताओं के दैनिक निर्देशों या निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विशिष्टताओं को धोखा देने वाला कोई पत्र, प्लेकार्ड या पोस्टर शामिल नहीं होगा।

(iii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) या खण्ड (ii) के अधीन किसी उपबंधों का उल्लंघन करता है, छह माह के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(5) मतदान की गोपनीयता बनाए रखना- (i) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन की मतों की गणना या उसके अभिलेखन करने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा, और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को (किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकृत किसी प्रयोजन के अलावा) गणना से संबंधित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा जिससे इसकी गोपनीयता भंग होगी।

(ii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(6) निर्वाचनों में अभिकारी और अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेंगे या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगे- (i) कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य के पालन के लिए निर्वाचन अधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी, या निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी या लिपिक है, निर्वाचन के प्रबंध या संचालन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य (मत देने के अलावा) नहीं करेगा।

(ii) यथा उपर्युक्त कोई भी व्यक्ति, और पुलिस बल का कोई भी सदस्य निम्नलिखित प्रयास नहीं करेगा:-

(क) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत देने के लिए प्रेरित करना; या

(ख) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत न देने के लिए प्रेरित करना; या

(ग) किसी निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी तरीके से असर डालना।

(iii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) या खण्ड (ii) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, छह माह के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(iv) खण्ड (iii) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(7) मतदान केंद्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिबंध- (i) कोई व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केंद्र पर मतदान होता हो, मतदान केंद्र के भीतर या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, जो मतदान केंद्र के एक से मीटर की दूरी के भीतर है, निम्नलिखित में से किसी कार्य को नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार; या

(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना; या

(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(ङ) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना।

(ii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह स्थानीय अधिकारिता वाले किसी दण्डाधिकारी द्वारा पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(iii) इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(8) मतदान केंद्रों में या उसके नजदीक विशुद्ध आचरण के लिए शास्ति- (i) कोई व्यक्ति, ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केंद्र मतदान पर होता है-

(क) मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन करने के लिए मेगाफोन या लाउडस्पीकर जैसा उपकरण का न तो उपयोग करेगा या न चलावेगा या

(ख) मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में विच्छेदित तरीके से नहीं चिल्लावेगा या अन्यथा कार्य नहीं करेगा, जिससे कि मतदान के लिए मतदान केंद्र जाने वाले किसी व्यक्ति का श्रेय हो या जिससे मतदान केंद्र के कर्तव्य पर अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप हो,

(ii) कोई व्यक्ति जो खण्ड (i) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उसके लिए जान-बुझकर सहायता करता है या दुरूपेण करता है, तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(iii) यदि पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर सकता है, और उसके बाद पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा।

(iv) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा कोई कदम उठा सकता है और बल का प्रयोग कर सकता है, जो उप-धारा (i) के उपबंधों का उल्लंघन को रोकने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, और इस उल्लंघन में प्रयुक्त उपकरण को जब्त

कर सकता है।

(9) मतदान केंद्र पर अपचार के लिए शक्ति-(1) कोई व्यक्ति जो मतदान के लिए नियत समय के दौरान किसी मतदान केंद्र में, पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं करता है या स्वयं अवधार करता है, तो उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा या कर्तव्य पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या उस पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केंद्र से हटाया जा सकेगा।

(ii) खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जायेगा, जिससे कि किसी निर्वाचक को जो मतदान केंद्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उसे केंद्र में मत देने के अवसर नहीं प्राप्त हो सके।

(iii) यदि कोई व्यक्ति, जिसे मतदान केंद्र से हटा दिया गया हो, पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना मतदान केंद्र में पुनः प्रवेश करता है, तीन माह के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(iv) खण्ड (iii) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(10) मतदान की प्रक्रिया को पालन में विफलता के लिए शक्ति-यदि कोई निर्वाचक, जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, मतदान के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करता है तो उसे जारी मत पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

(11) निर्वाचकों के वाहनों को अवैध रूप से किराये पर लेने या उपचार करने के लिए शक्ति-यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में धारा-14 के खण्ड (vi) में यथाविनिर्दिष्ट किसी भ्रष्ट आचरण का बोझ हो, तो वह तीन माह तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(12) निर्वाचकों के संबंध में पदवी कर्तव्य भंग-(1) यदि कोई व्यक्ति, जिस पर यह धारा लागू होती हो, अपना पदवी कर्तव्य भंग करते हुए बिना बुनियायुक्त कारण के किसी कार्य या लोप का बोझ हो तो वह पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(ii) खण्ड (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(iii) संप्रभुत्वित ऐसे किसी कार्य या लोप के बावत शक्ति के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई नार या निषेध कार्यवाही नहीं होगी।

(iv) यह धारा निर्वाचन पदाधिकारियों, निर्वाची पदाधिकारियों, सहायक निर्वाची पदाधिकारियों, पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान पदाधिकारियों एवं नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने या अभ्यर्थिता की जांच या मतदान लेने अथवा मतगणना करने हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होगी और अभिव्यक्ति "पदवी कर्तव्य" की व्याख्या इस धारा के प्रयोगार्थ तत्पुनः की जायेगी, लेकिन अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत निर्धारित कर्तव्यों से अन्यथा अधिरोपित कर्तव्य इसमें शामिल नहीं होंगे।

(13) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए शक्ति-यदि सरकारी सेवक कोई व्यक्ति निर्वाचन में अम्भार्यों के निर्वाचन अधिकारी या मतदान अधिकारी या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो वह तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(14) मतदान केंद्र में उसके नवीनक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध-(1) मतदान केंद्र में शक्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को अलावा कोई भी व्यक्ति, जो मतदान केंद्र में कर्तव्य पर है, मतदान के दिन मतदान केंद्र के पास आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं. 54) में यथा परिभाषित, किसी प्रकार के शस्त्र लेकर नहीं जायेगा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति खण्ड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(iii) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं. 54) में अन्तर्गुहित किसी बात को छोड़ते हुए भी जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का शिकार हो, उसके कब्जे में उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित शस्त्र पाया गया हो तो जब कर लिया जाएगा और उन शस्त्रों के लिए द्रव्य अनुज्ञप्ति को उस अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत प्रतिरोधित माना जाएगा।

(iv) खण्ड-(ii) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(15) मतदान केंद्र से मत दानों को हटाना अपराध होगा-(1) कोई व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में मतदान केंद्र से मतपत्र को अनाधिकृत रूप से हटाता है या लेने का प्रयास करता है, या किसी ऐसे कार्य को करने में जान-बूझकर सहायता करता है या करने के लिए दुरुपेक्षित करता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या पांच सौ रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

(ii) यदि मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति खण्ड (i) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह अधिकारी उस व्यक्ति को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले गिरफ्तार कर सकता है या उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आरक्षी अधिकारी को निर्देश दे सकता है और उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या किसी आरक्षी अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगा,

परन्तु जब किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो तो मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा तलाशी

ली जायेगी।

(iii) गिरफ्तार व्यक्ति को तलाशी पर पाये गये किसी मतपत्र को पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को निरापद अभिरक्षा के लिए दिया जायेगा, या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाये तो उसे स्वयं अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(iv) खण्ड (i) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(16) मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध- जो कोई मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध करता है, उसे ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दण्डनीय होगा, और जहां ऐसा अपराध सरकारी सेवारत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्षों से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पांच वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण-(1) इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "मतदान केन्द्र कब्जा" से अन्य चीजों के साथ निम्नलिखित सभी या कोई भी गतिविधियां शामिल हैं अर्थात्-

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को मतदान प्राधिकारियों से अपभारित करना और कोई ऐसा अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के सुव्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है,

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना और केवल अपने समर्थकों को मतदाता के प्रयोग करने की अनुमति देना और दूसरे को मत देने से रोकना।

(ग) किसी निर्वाचक को अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान जाने से रोकना और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़ित करना या अभिभूत या धमकी देना;

(घ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को गणना प्राधिकारियों से अपभारित करना और ऐसा कोई अन्य कार्य जो व्यवस्थित रूप से गणना को प्रभावित करे;

(ङ) अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकारी सेवारत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त कार्यों में से सभी या कोई कार्य करना, या करने में सहायता या मौन अनुमति देना।

(17) अन्य अपराध और उसके लिए शास्तियां-(i) कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा, यदि किसी निर्वाचन में वह-

(क) किसी नामनिर्देशन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(ख) निर्वाची अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित, नष्ट या हटाता है; या

(ग) डाक मत-पत्र द्वारा मत डालने के संबंध में प्रयुक्त शासकीय लिफाफे या पहचान की किसी घोषणा या किसी मत-पत्र पर शासकीय चिह्न या किसी मत-पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(घ) सम्यक प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को किसी मत-पत्र की आपूर्ति करता है या किसी व्यक्ति से कोई मत-पत्र प्राप्त करता है या उसके कब्जे में कोई मत-पत्र हो; या

(ङ) मत-पत्र जिसे डालने के लिए वह विधितः अधिकृत है से चिन्न किसी वस्तु को किसी मतपेटी से कपटपूर्वक डालता हो; या

(च) आवश्यक प्राधिकार के बिना, निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब प्रयुक्त किसी मतपेटी या मतपत्रों के नष्ट करता हो, से जाता हो, खोल देता हो या अन्यथा हस्ताक्षेप करता हो; या

(छ) उपर्युक्त किन्हीं कार्यों को करने का कपटपूर्वक या यथार्थतः आवश्यक प्राधिकार के बिना, प्रयास करता हो या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जान-बूझकर सहायता करता हो या उत्प्रेरित करता हो।

(ii) इस धारा के अधीन निर्वाचन विषयक अपराध का दोषी कोई व्यक्ति-

(क) यदि वह निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी हो या निर्वाचन के संबंध में शासकीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या लिपिक हो, तो दो वर्षों तक के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

(iii) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को शासकीय कर्तव्य पर माना जायेगा, यदि उसका कर्तव्य किसी निर्वाचन के या निर्वाचन के अंग के संचालन में भाग लेना होगा और इसमें मतगणना भी शामिल है या निर्वाचन के पश्चात् मतपत्रों और ऐसे निर्वाचन से जुड़े अन्य कामकाज के लिए जिम्मेवार होगा। अभिव्यक्ति "शासकीय कर्तव्य" में इस अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत अन्यथा अधिरोपित कोई कर्तव्य शामिल नहीं होगा।

(iv) उप-धारा (ii) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

7. मतदान के दिन कर्मचारियों को सचेतन अवकाश देने की मंजूरी- (1) किसी कारोबार, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम

217

या किसी अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और राज्य की निकायों के निर्वाचन में मत देने के लिए योग्य प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन अवकाश प्रदान किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अनुसार प्रदान किये गये अवकाश के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी और यदि वह व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।

(3) यदि कोई नियोक्ता खण्ड (1) या खण्ड (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसा नियोक्ता, पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा उस किसी ऐसे निर्वाचक पर लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति उस निर्वाचन की बाबत सतरा या सारभूत होने पहुँचा सकती हो, जिसमें वह कार्यरत हो।

8. निर्वाचन व्यवस्था का लेखा और उसकी अधिकतम राशि:- (1) किसी निर्वाचन का प्रत्येक उम्मीदवार जिस तारीख को उसका नाम निर्देशन हुआ हो उस तारीख से लेकर उसका परिणाम घोषित किए जाने की तारीख तक उपगत और उसके द्वारा प्राधिकृत, निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च का पुष्पक और सही लेखा या तो स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकर्ता से रखवायेगा।

(2) लेखा में यथा विहित विधिधियाँ अन्तर्निहित होंगी।

(3) उक्त व्यवस्था का कुल योग यथा विहित राशि से अधिक नहीं होगा।

9. निर्वाचन व्यवस्था का लेखा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निरर्थक:- यदि निर्वाचन प्राधिकार का समाधान हो जाए कि कोई व्यर्थ:-

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यवस्था लेखा प्रस्तुत नहीं किया है और

(ख) चुनने के लिए कोई युक्तियुक्त कारण या औचित्य नहीं है तो राज्य निर्वाचन प्राधिकार आदेश द्वारा उसे निरर्थक घोषित कर देगा तथा ऐसा व्यक्ति आदेश की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्दोष किया जाएगा।

10. चुनाव याचिका:- (1) यथा विहित चुनाव याचिका के सिवाय किसी निकाय के किसी पद के निर्वाचन को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा:

परन्तु अगर किसी निकाय के किसी पद का निर्वाचन विवादित हो तो चुनाव प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले ऐसे प्राधिकार के समक्ष दायर होगी जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसा निकाय अवस्थित हो।

(2) "याचिका के पक्षकार":- प्राणी अपनी याचिका में प्रत्यक्षी के रूप में निम्नलिखित को जोड़ेगा:-

(क) जहाँ प्राणी ऐसे घोषणा करने के दावे के अतिरिक्त कि सभी या किन्हीं निर्वाचन अभ्यर्थियों का निर्वाचन अवैध है, अन्य घोषणा का दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया है प्राणी के अलावा सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को और जहाँ कोई ऐसी अन्य घोषणा का दावा नहीं किया जाए तो सभी निर्वाचित अभ्यर्थी को और

(ख) किसी अन्य अभ्यर्थी को जिसके विरुद्ध किसी भ्रष्ट आचरण के आरोप को याचिका में लगाया गया हो।

11. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक:- इस अधिनियम में किसी बात के अन्तर्निहित होते हुए भी-

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमा अथवा ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी आदेश की विरिमान्यता को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(ख) इस अधिनियम के अधीन विहित प्राधिकारों के पास प्रस्तुत की गई निर्वाचन अर्जों के सिवाय किसी निकाय का निर्वाचन प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

12. निर्वाचन को रद्द घोषित करने के आधार:- (1) उप-धारा (2) उपबंधों के अध्याधीन यदि विहित प्राधिकारी की राय हो कि-

(क) अपने निर्वाचन की तारीख को कोई निर्वाचित उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में चुने जाने की अर्हता नहीं रखता था या निरर्थक था, या

(ख) निर्वाचित उम्मीदवार या उसके अधिकर्ता या निर्वाचित उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण किया गया है, या

(ग) किसी नामांकन-पत्र को अनुचित रूप से अस्वीकृत कर दिया गया है, या

(घ) निर्वाचन का परिणाम जहाँ तक किसी निर्वाचिता उम्मीदवार से इसका संबंध है, यदि-

(i) किसी नामांकन-पत्र को अनुचित रूप से स्वीकार करने से, या

(ii) किसी अधिकर्ता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के हित में किये गये किसी भ्रष्ट आचरण से, या

(iii) किसी मत को अनुचित रूप से प्राप्त करने, इंकार करने या अस्वीकार करने अथवा ऐसे किसी मत को जो रद्द हो, प्राप्त करने से, या

(iv) इस नियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या आदेश के अनुपालन से तार्किक रूप से प्रभावित हुआ हो, तो विहित प्राधिकारी निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन रद्द घोषित कर देगा।

(2) यदि विहित प्राधिकारी की राय में किसी निर्वाचित उम्मीदवार का कोई अभिकर्ता भ्रष्ट आचरण का दोषी रहा हो, किन्तु विहित प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि-

(क) उम्मीदवार द्वारा निर्वाचन में ऐसा कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया गया और ऐसा प्रत्येक भ्रष्ट आचरण उम्मीदवार के आदेशों के प्रतिकूल तथा उसकी सहमति के बिना किया गया,

(ख) उम्मीदवार ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण रोकने के लिए सभी समुचित उपाय किए; और

(ग) अन्य सभी बातों में उम्मीदवार या उसके किसी अभिकर्ता की ओर से चुनाव में किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण नहीं किया, तो विहित प्राधिकारी यह विनिश्चय कर सकेगा कि निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव अवैध नहीं है।

13. वैसे कारण जिनके चलते निर्वाचित उम्मीदवार से भिन्न अन्य कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा:-

(1) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिन्होंने निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन के बारे में आपत्ति करने के अतिरिक्त दायर निर्वाचन याचिका में इस अराय की घोषणा का दावा करता है कि स्वयं उसे या किसी अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया है और विहित प्राधिकारी की यह राय हो-

(क) कि चरितुतः अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार ने वैध मतों से बहुमत प्राप्त किया है; या

(ख) कि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा भ्रष्ट आचरण से प्राप्त मत को छोड़कर अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार वैध मतों का वह बहुमत प्राप्त कर लिया होता; तो विहित प्राधिकारी, निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को रद्द घोषित करने के बाद यह घोषणा करेगा कि यथा स्थिति अर्जीदार या ऐसा अन्य उम्मीदवार को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है।

(2) विहित प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

14. भ्रष्ट आचरण - इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण में समझा जाएगा-

(i) तत्समय प्रवृत्त जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951, (केन्द्रीय अधिनियम 48, 1951) की धारा-123 के खण्ड (1) में यथा परिभाषित रिश्वत;

(ii) तत्समय प्रवृत्त उक्त धारा के खण्ड (2) में यथा परिभाषित अनुचित प्रभाव,

(iii) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के लिए उसके धर्म, प्रजाति, जाति समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या नहीं करने की अपील अथवा उस उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अथवा किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग करने या उसकी दुहाई देने या राष्ट्रीय प्रतीकों, यथा राष्ट्रीय झण्डा या राष्ट्रीय चिह्न का उपयोग करने या दुहाई देने;

(iv) उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए या किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता और घृणा की भावनाओं को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना,

(v) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे तथ्यों की विवरण का प्रकाशन जो किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में अथवा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उसकी वापसी के संबंध में मिथ्या हो और जिसे वह मिथ्या समझता हो या सही नहीं मानता हो जो ऐसा विवरण हो जिसे उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सुविचारित ढंग से तैयार किया गया हो,

(vi) उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी वाहन या जलयान को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान को इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मतदान केंद्र तक या उससे किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) के निःशुल्क परिवहन के लिए ऐसे वाहन या जलयान का उपयोग करना; परन्तु किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर किसी ऐसे मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने या वहां से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वाहन या जलयान या रेल का उपयोग इस खण्ड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा,

स्पष्टीकरण- इस खण्ड में "यान" शब्द से अभिप्रेत है पथ परिवहन के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया गया या उपयोग में लाने योग्य कोई यान, चाहे यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चलता हो, चाहे उसका उपयोग, अन्य यानों को खींचने के लिए

या अमर्याद किया जाता हो।

(vii) किसी ऐसे बैठक का आयोजन जिसमें मदक द्रव्य की आपूर्ति की जाती हो।

(viii) निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिषद, विधानमंडल या इशतहार का जारी किया जाना जिस पर इसके मुद्रण कला और प्रकाशक का नाम और पता न हो;

(ix) कोई अन्य आचरण जिसे राज्य सरकार नियम बनाकर भ्रष्ट आचरण विनियमित करे।

15. भ्रष्ट आचरण के संबंध में आदेश- इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण के चलते किसी स्थानीय प्राधिकार को सदस्यता से पांच वर्षों की अवधि के लिए निरुद्धता हो जाएगी।

उसको गणना उस तारीख से की जायेगी जिस तारीख से ऐसे आचरण के संबंध में विहित प्राधिकारी का निष्कर्ष इस अधिनियम के अधीन प्रभावी हो।

16. नियमावली बनाने की सरकार की शक्ति- (1) राज्य सरकार की नियमावली बनाने की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना, सामान्यतः इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना निर्गत कर, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए नियमावली बना सकेगी-

(क) निर्वाचन प्राधिकार के कार्यों की प्रक्रिया का विनियमन।

(ख) प्राधिकार के कर्मचारी एवं स्टाफ की नियुक्ति, अनुशासन एवं अपील तथा सेवा शर्तें।

(ग) पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, शक्ति एवं अधिकारिता।

(घ) विहित प्राधिकार जिसके समक्ष निर्वाचन याचिका दायित्व होगी।

(ङ) निर्वाचन याचिका दायित्व करने की फीस सहित प्रक्रिया।

(च) अन्य कोई बात, जो प्राधिकार के कर्तव्य एवं शक्तियों के निर्वहन हेतु आवश्यक या अनुपयुक्त हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई नियम भूतलकी प्रभाव से बनाया जा सकेगा और जब ऐसा कोई नियम बनाया जाये तो नियम बनाये जाने के कारणों को एक विवरण में निर्दिष्ट किया जायेगा जिसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी उपसंहार के अन्वयधन, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम का प्रभाव उसी तरह होगा जहाँ उसे इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो।

(3) इस भाग के अधीन कोई नियम बनाने में सरकार इस बात का उपबन्ध कर सकेगी कि इसके उल्लंघन करने का दोषी कोई व्यक्ति, दोष सिद्ध होने पर पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा और जहाँ इस प्रकार का उल्लंघन होता रहेगा वहाँ जिस प्रथम दिन से उल्लंघन शुरू होता हो, उस दिन को और उसके बाद के प्रत्येक दिन के लिए पच्चीस रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से यह दण्डनीय होगा।

17. अधिनियम का अधिनियम प्रभाव- (1) बिहार सभाकाय सभासदों अधिनियम, 1935, बिहार राज्यसभाकाय सभासदों अधिनियम, 1996 या किसी अन्य अधिनियम, नियम, आदेश स्वीकृत में किसी प्रस्तावना के होते हुए भी, किसी संघ/संगठन/स्थापना जिसमें निर्वाचन करने का कार्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है, के सदस्यों/पर्यवेक्षकों/प्रबंध समिति का निर्वाचन, निर्वाचन प्राधिकार गठित होने की तिथि को एवं से, सिर्फ निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निर्वहन एवं निदेशन में होगा, और इस हर तक, किसी अन्य अधिनियम, नियम, आदेश, अधिसूचना, स्कीम में विहित प्रावधानों पर इस अधिनियम का अधिनियम प्रभाव होगा मन्तो उसमें अंतर्विष्ट प्रावधान अस्तित्व में नहीं है।

(2) संस्थाओं/संगठनों/स्थापनाओं में निर्वाचन, जो राज्य सरकार के आदेश द्वारा राज्य निर्वाचन प्राधिकार को द्वारा संचालित किये जाने हैं, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि को एवं से सिर्फ इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनत गये नियमावली में विहित तरीके से संचालित होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

23 अप्रैल 2008

सं-एल0बी01-06/2008/91/लेव-1- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 अप्रैल 2008, को अनुमत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जात है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।